

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री मोहन होटल, चारबाग, लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 004 / 13, 30.01.2013
प्रार्थी की ओर से श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मोहन होटल, चारबाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 30.01.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

Determine / Declare that VAT under section 3 of the Act is leviable only upon the sale component of the total amount of the goods being supply of food or any other article of human consumption or any drink (whether intoxicating or not) in the restaurant i.e. (a) 60% w.e.f. 01.07.2012 and 70% from 01.05.2011 to 30.06.2012 of the total amount in case of restaurant, and (b) 40% of the total amount in case of outdoor catering (matter not connected with applicant);

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उनके ऊपर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3, 3A, 4 एवं धारा-5 के अन्तर्गत कर का दायित्व है। यह भी कहा गया कि वह सेवाकर अधिनियम की धारा-65 के अन्तर्गत भी आते हैं। प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि सेवाकर के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-34 / 2011, दिनांक 25.04.2011 तथा विज्ञप्ति संख्या-01 / 2006, दिनांक 01.03.2006 के द्वारा कुल विक्रय मूल्य के 30% को सर्विस मानते हुए उस पर करदेयता मानी गयी है। यह भी कहा गया कि भारत सरकार ने विज्ञप्ति दिनांक 06.06.2012 द्वारा नियम-2-C को सम्मिलित किया है जिसमें यह कहा गया है कि भोजन तथा अन्य खाद्य एवं पेय सामग्री की आपूर्ति होने पर रेस्टोरेन्ट में 40% एवं आउटडोर कैटरिंग में 60% पर सेवाकर की देयता होगी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसके कारण दोहरा कराधान हो रहा है और यह अनुरोध किया गया कि विक्रय मूल्य में सेवा के भाग पर कराधान नहीं होना चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-01, दिनांक 01.04.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि भारत के संविधान में 46वें संशोधन के द्वारा धारा-29ए जोड़ी गयी है जिसके अनुसार विक्रय की परिभाषा को विस्तार दिया गया है और इसी के अनुसार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2एसी (vi) में विक्रय की परिभाषा निम्न भाँति है :-

the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration,

इसके अनुसार किसी भोजन या खाद्य पदार्थ एवं पेय की समस्त बिक्री पर करदेयता होती है। आख्या

सर्वश्री मोहन होटल / प्रा0 पत्र सं0-004 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2

में यह भी कहा गया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं समस्त बिक्री पर कर स्वीकार किया जा रहा है और जमा किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि उक्त प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न विक्रय धन के निर्धारण से सम्बन्धित है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) a से e के अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों से आच्छादित नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा नकशा व कर जमा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अतः प्रार्थी द्वारा नकशा व कर जमा करने के कारण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) a से e के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा नकशा व कर जमा करने के कारण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के आलोक में रिटर्न दाखिल होने के कारण कार्यवाही विचाराधीन मानी जायेगी। अतः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 24 जनवरी, 2014

ह0 / 24.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।